न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्रीकन्हैयालाल स्वामी आर 0ए0एस)

मु0 संख्या 36 /2017

प्रार्थी		अप्रार्थी
खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर	ब ना म	1श्री सवाईलाल माहेश्वरी पुत्र श्री नाजोमल माहेश्वरी उम्र 37 वर्ष, जाति माहेश्वरी मूल निवासी– बालिका विद्यालय के पास म्याजलार जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स श्रीनाथ टेलीकॉम एण्ड प्रोविजन, मेन रोड म्याजलार जैसलमेर (राज.) 2मैसर्स श्रीनाथ टेलीकॉम एण्ड प्रोविजन, मेन रोड म्याजलार, जैसलमेर (राज.)

(अपराध अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) एफ.एस.एस एक्ट 2006 नियम 2011)

उपस्थितः– श्रीमोहम्मदअली अधिवक्ता गैरसायलान पक्ष की और से

–:: आदेश ::– दिनांकः 29 नवम्बर 2017

श्रीलक्ष्मीकान्तगुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006व नियम 2011के तहत् न्याय निर्णयन आवेदन निम्न प्रकार पेश किया कि–

1. यह है कि मुस्तगीस अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 06.09.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 1033 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर आंवटित किया गया है और जैसलमेर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

1. यह है कि अभियुक्त कं सं. 1. श्री सवाईलाल माहेश्वरी पुत्र श्री नाजोमल माहेश्वरी उम्र 37 वर्ष, जाति माहेश्वरी मूल निवासी– बालिका विद्यालय के पास म्याजलार जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स श्रीनाथ टेलीकॉम एण्ड प्रोविजन, मेन रोड म्याजलार जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स श्रीनाथ टेलीकॉम एण्ड प्रोविजन, मेन रोड म्याजलार, जैसलमेर हैं।
2. यह है कि दिनांक 13.05.2017 को 11एएम मैसर्स श्रीनाथ टेलीकॉम एण्ड प्रोविजन, मेन रोड म्याजलार, जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान, संस्थान पर विक्रेता श्री सवाईलाल माहेश्वरी पुत्र श्री नाजोमल माहेश्वरी उम्र 37 वर्ष, जाति माहेश्वरी मूल निवासी– बालिका विद्यालय के पास म्याजलार जैसलमेर (राज.) पर कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर

व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र/पंजीयन दिखाने को कहा तो खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया।

3. यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर मैंगो फ्रुट बेवरेज ट्रोपिकाना स्लाइस ब्राण्ड 1.2 लीटर पेट बॉटल दुकान मे विक्रय कर रहा था, मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रतिं मौके पर मालिक विक्रेता दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात् मैंगो फ्रुट बेवरेज ट्रोपिकाना स्लाइस ब्राण्ड 1.2 लीटर पेट बॉटल नमूने वास्ते 4 पैक बॉटल दिया जिसके पेटे 320 रूपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

4. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद सुदा मैंगो फ्रुट बेवरेज ट्रोपिकाना स्लाइस ब्राण्ड 1.2 लीटर पेट बॉटल को चारो नमूनो पर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना बोतलों पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोंड एवं सिरीयल नम्बर एन–697 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। और बोतलों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–697 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील सें मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–697 मैंगो फ्रुट बेवरेज ट्रोपिकाना स्लाइस ब्राण्ड 1.2 लीटर पेट बॉटल लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनो भागो को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होनें पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

5. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर दिनांक 15.05.2017 को स्वयं लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 13.05.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

6. यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/14317–19 दिनांक 02.06.2017 के

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्याा **L.S./478/Act/2017/484** – दिनांक 26.05.2017 अनुसार उक्त नमुना अमानक (सब–स्टेण्डर्ड) पाया गया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/स्वी./एन–697/.के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।
8. यह है कि उक्त केस में विक्रेता एवं मालिक कं सं. 1. श्री सवाईलाल माहेश्वरी पुत्र श्री नाजोमल माहेश्वरी उम्र 37 वर्ष, जाति माहेश्वरी मूल निवासी– बालिका विद्यालय के पास म्याजलार जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स श्रीनाथ टेलीकॉम एण्ड प्रोविजन, मेन रोड म्याजलार जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स श्रीनाथ टेलीकॉम एण्ड प्रोविजन, मेन रोड म्याजलार, जैसलमेर ने अमानक मैंगो फ्रुट बेवरेज ट्रोपिकाना स्लाइस ब्राण्ड 1.2 लीटर पेट बॉटल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।
9. श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगाशा तथा सलग्न प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर इस्तगाशा दर्ज किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायल दिनांक 27.11.17 को उपस्थित हुवा तथा लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया :–

1– यह कि प्रकरण में अप्रार्थी को आज तारीख पेशी का नोटिस दिया गया है ।

2– यह कि अप्रार्थी मेसर्स श्रीनाथ टेलीकॉम एण्ड प्राचिजन स्टोर का मालिक है अप्रार्थी दुकान में फूड सेफटी अधिकारी दिनांक 13.5.17 को मेण्डी ड्रिंक्स स्लाईस का सेम्पल लिया गया था उक्त सेम्पल फूड एनालिस्ट जोधपुर को जाचार्थ हेतु भेजा गया था जो मिलावटी नही पाया गया था तथा मिस ब्राण्डेड होने से सेफटी इन्सपेक्टर द्वारा चालान केस पेश किया गया है ।

3– यह कि उक्त मैंगो ड्रिक्स अप्रार्थी द्वारा कोई मिलावट इत्यादि नही की है और कंपनी द्वारा जिस हालत में पेक्उ था उसी हालत में बंचान किया जाता है। इसलिए अप्रार्थी नें कोई मिलावट या रद्धोबदल नही किया है । इसलिए लोक अदालत की भावना से स्वेच्छापूर्वक आरोप स्वीकार करता है ।

अप्रार्थी द्वारा स्वय उपसिथत होकर वकील के मार्फत प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज किया कि उपरोक्त प्रकरण में निस्तारण आज पेशी में किया जाकर अप्रार्थी पर रहम बक्सावें । मामले में लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करनें हेतु अनुरोध है ।

गैरसायल द्वारा जुर्म स्वीकार करनें से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करनें अथवा साक्ष्य सबूत पेश करनें की आवश्यकता नही रही है ।गैरसायल द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रार्थना की है जुर्म स्वीकार कर लेनें से गैरसायलान द्वारा अमानक मिस ब्राण्ड मैंगो फ्रुट बेवरेज ट्रोपिकाना स्लाइस ब्राण्ड 1.2 लीटर का विक्रय करनें के

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

। साबित है जिससे स्पष्ट है कि गैरसायलान द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 006 एवम् नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 ।। का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम2011 की धारा 51, में निर्धारित है । अतः लोक अदालत की भावना से सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाते हुवे गैरसायल नम्बर एक व दो पर सयुक्त रूप से रूपये 20,000/– अखरे रूपये बीस हजार मात्र **की शास्ति अर्थ दण्ड आदेशित किया जाता है । आदेशित अर्थ दण्ड की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवम अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर के न्यायालय में जरिये चालान अथवा बैंक ड्राप्ट के माध्यम से एक माह के अन्दर जमा करवाकर पालना पालना पेश करें ।**

निर्णय आज दिनांक 29 .11 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्याय निर्णय अधिकारी एव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर

(कन्हैयालाल स्वामी)
न्याय निर्णयन अधिकारीएवम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

क्रमांक/एफएसएसएक्ट/निर्णय/17/ दिनांकः– 29 .11.2017

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवम् पालनार्थ प्रेषित हैः–

1–खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवम् निदेशक (जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाए जयपुर

2–अभिहीत अधिकारी एवम् मुख्यचिकित्सा अधिकारी जै/खाद्यसुरक्षाअधिकारी जैसलमेर

3 श्री सवाईलाल माहेश्वरी पुत्र श्री नाजोमल माहेश्वरी उम्र 37 वर्ष, जाति माहेश्वरी मूल निवासी– बालिका विद्यालय के पास म्याजलार जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स श्रीनाथ टेलीकॉम एण्ड प्रोविजन, मेन रोड म्याजलार जैसलमेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर